न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2024/336
मुकदमा नम्बर 114/2024 दर्ज दिनांक–09.07.2024

1. भैरूसिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह
2. कल्पना कंवर पत्नी दारा सिंह जातिगण राजपूत निवासी गोठडा, तहसील नवलगढ ,जिला झुझंनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझंनू

वकील आवेदक : – श्री अशोक जांगिड
अनावेदक सं. 1 :– श्री विधाधर सिह जाखड
अनावेदक सं. 2– पैरो. राज

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 18.03.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 459 रकबा 0.32 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 2 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज प्रकट नही किया। अना. 1 की और से वकील श्री विधाधर सिह जाखड उपस्थित हुये परन्तु काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रा. पत्र पेश नही किया गया। प्रकरण में जवाब प्रा. पत्र बन्द किया गया तथा बहस वकील उभय पक्ष पेश करने पर बगौर सुनी गई ।

वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को राजस्व ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 459 रकबा 0.32 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18/03/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह) 18/3/25
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझंनू